



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2015/भाद्र 10, 1937

No. 226]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2015/BHADRA 10, 1937

खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 1 सितंबर, 2015

सं.1/17/2015-खान-VI.—ग्रेनाइट उद्योग के विकास की देख रेख के लिए ग्रेनाइट विकास परिषद (जीडीसी) को भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.07.2004 के अपने संकल्प सं.1/1/98-एम-VI (खंड-III) के तहत 31.3.2009 की अवधि तक और पुनः 31.3.2014 तक के लिए पुनर्गठित किया गया। भारत सरकार का यह मत है कि इस संकल्प के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित विचारार्थ विषय और गठन के साथ ग्रेनाइट विकास परिषद को पुनर्गठित करना और ग्रेनाइट उद्योग के विकास ग्रेनाइट के निर्यात के हित में होगा :

1	सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार	-अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, (खनिज नीति और विधान) खान मंत्रालय, भारत सरकार	- सदस्य
3	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार	- सदस्य
4	संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार	- सदस्य
5	संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार	- सदस्य
6	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, भारत सरकार	- सदस्य

7	सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	- सदस्य
8	सचिव, खान विभाग, राजस्थान सरकार	- सदस्य
9	सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडू सरकार	- सदस्य
10	प्रधान सचिव, इस्पात और खान विभाग, ओडिशा सरकार	- सदस्य
11	सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, कर्नाटक सरकार	- सदस्य
12	सचिव उद्योग और खान विभाग, गुजरात सरकार	- सदस्य
13	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता	- सदस्य
14	महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर	- सदस्य
15	निदेशक, राष्ट्रीय शैल यांत्रिकी संस्थान, कर्नाटक	- सदस्य
16	अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्रेनाइट और स्टॉन संगठन, बेंगलौर	- सदस्य
17	महासचिव, भारतीय खनिज उद्योग संघ, नई दिल्ली	- सदस्य
18	कैपेक्सिल विश्व व्यापार केंद्र, कोलकाता	- सदस्य
19	मैसर्स जेम ग्रेनाइट्स, चैन्नई (तमिलनाडू)	- सदस्य
20	मैसर्स कृष्णा साइ ग्रेनाइट्स (आंध्र प्रदेश)	- सदस्य
21	मैसर्स पल्लव ग्रेनाइट्स उद्योग (इंडिया)	- सदस्य
22	मैसर्स पोकरना लिमिटेड (आ.प्र.) प्राइवेट लिमिटेड (तमिलनाडू)	- सदस्य
23	निदेशक (खनिज नीति और विधान), खान मंत्रालय, भारत सरकार	- सचिव

3. ग्रेनाइट विकास परिषद के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :

- ग्रेनाइट खानों की स्थिति का आवधिक आंकलन और समीक्षा करना और खनिज के तेजी से विकास के उपाय सुझाना ।
- खानों में अपनाई गई प्रौद्योगिकी का आंकलन और खनिज के वैज्ञानिक गवेषण और तकनीक के उन्नयन के लिए उपाय सुझाना ।

- (iii) ग्रेनाइट पर मौजूदा कर प्रणाली और रॉयल्टी ढांचे का आंकलन करना और ग्रेनाइट पर निवेश को और आकर्षक बनाने के लिए उपाय सुझाना ।
- (iv) ग्रेनाइट के मूल्य संवर्द्धन के इजाफे के लिए उपाय सुझाना और उसके निर्यात संभावना का लाभ उठाना ।
- (v) कोई अन्य पहलू जो देश में उद्योग और ग्रेनाइट खनन के विकास के हित में परिषद को महत्वपूर्ण लगे ।

[फा. सं. 1/17/2015-एम.VI]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES**RESOLUTION**

New Delhi, the 1st September, 2015

No. 1/17/2015-MVI. (vol-iii).—A Granite Development Council (GDC) for overseeing the development of the Granite Industry was reconstituted by the Government of India vide its Resolution No. 1/1/98-MVI (vol-iii) dated 30.7.2004 for a period upto 31.3.2009 and again upto 31.3.2014 . The Government of India has come to the view that it will be in the interest of development of granite industry and export of granite to reconstitute the Granite Development Council, for a period of three years from the date of issue of this resolution, with following terms of reference (TOR) and composition:

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Secretary,
Ministry of Mines, Govt. of India | - Chairman. |
| 2. | Joint Secretary (Mineral Policy & Legislation)
Ministry of Mines, Govt. of India | - Member |
| 3. | Joint Secretary,
Department of Commerce, Govt. of India | - Member. |
| 4. | Joint Secretary,
Ministry of Environment & Forests, Govt. of India | - Member. |
| 5. | Joint Secretary,
Ministry of Finance, Deptt. of Revenue, Govt. of India | - Member |
| 6. | Joint Secretary,
Deptt. of Industrial Policy & Promotion, Govt. of India | - Member |
| 7. | Secretary,
Industries & Commerce Deptt., Govt. of Andhra Pradesh | - Member |
| 8. | Secretary,
Mines Deptt., Govt. of Rajasthan | - Member |
| 9. | Secretary,
Industries Deptt., Govt. of Tamil Nadu | - Member |
| 10. | Principal Secretary,
Steel & Mines Deptt., Govt. of Orissa | - Member |
| 11. | Secretary,
Commerce & Industries Deptt., Govt. of Karnataka | - Member |
| 12. | Secretary,
Industries & Mines Deptt., Govt. of Gujarat | - Member |
| 13. | Director General,
Geological Survey of India, Kolkata | - Member |

- | | | |
|-------|--|--------------------|
| 14. | Controller General,
Indian Bureau of Mines, Nagpur | - Member |
| 15. | Director,
National Institute of Rock Mechanics, Karnataka. | - Member |
| 16. | President,
All India Granite and Stone Association, Bangalore. | - Member. |
| 17. | Secretary General,
Federation of Indian Mineral Industries, New Delhi. | - Member |
| 18. | CAPEXIL
World Trade Centre, Kolkatta. | - Member |
| 19. | M/s. Gem Granites, Chennai (Tamilnadu) | - Member |
| 20. | M/s. Krishna Sai Granites (A. P.) | - Member |
| 21. | M/s. Pallava Granites Industry (India) Pvt. Ltd.
(Tamil Nadu) | - Member |
| 22. | M/s. Pokarna Limited (A.P.) | - Member |
| 23. | Director, (Mineral Policy & Legislation),
Ministry of Mines, Govt. of India. | - Member Secretary |
| 3. | The Terms of Reference of the Granite Development Council will be as follows: | |
| (i) | To assess and review periodically the status of granite mines and recommend measures for speedy development of the mineral. | |
| (ii) | To assess technology employed in the mines and recommend measures for up-gradation of technology and scientific exploitation of the mineral. | |
| (iii) | To assess present taxation and royalty structure on granite and suggest measures to make investment in granite more attractive. | |
| (iv) | To recommend measures for increasing value addition in granite and to realize its export potential.. | |
| (v) | Any other aspect which the Council deems important in the interest of development of granite mining and industry in the country. | |

[F. No. 1/17/2015-MVI]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.